"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2017—भाद्र 14, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोहित कुमार साहू आत्मज स्व. भुनेश्वर साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी-म. नं.-14/ए, सड़क-11, सेक्टर-07, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरा सही नाम रोहित कुमार साहू है जो कि मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि में दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रोहित कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम रोहित कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रोहित कुमार साहू आ. स्व. भुनेश्वर साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रोहित कुमार (Rohit Kumar)
पिता-स्व. भुनेश्वर साहू
(Late Bhuneshwar Sahu)
निवासी-म. नं.-14/ए, सड़क-11,
सेक्टर-07, भिलाई नगर,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रोहित कुमार साहू
(Rohit Kumar Sahu)
पिता-स्व. भुनेश्वर साहू
(Late Bhuneshwar Sahu)
निवासी-म. नं.-14/ए, सड़क-11,
सेक्टर-07, भिलाई नगर,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार अग्रवाल आत्मज स्व. बी. एल. अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी-म. नं.-196, वार्ड क्र. 24, दीपक नगर/आमदी मंदिर वार्ड, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पूरा नाम संजय कुमार अग्रवाल है. मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में तथा मेरे पुत्र के नौंवी तक के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में यही नाम दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के कक्षा दसवीं की अंक-सूची में मेरा अपूर्ण नाम संजय अग्रवाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम संजय कुमार अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे संजय कुमार अग्रवाल आ. स्व. बी. एल. अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

संजय अग्रवाल
पिता-स्व. बी. एल. अग्रवाल
निवासी-म. नं.-196, वार्ड क्र. 24,
दीपक नगर/आमदी मंदिर वार्ड, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

संजय कुमार अग्रवाल
पिता-स्व. बी. एल. अग्रवाल
निवासी-म. नं.-196, वार्ड क्र. 24,
दीपक नगर/आमदी मंदिर वार्ड, दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोनिका प्रसाद आत्मजा श्री महेन्द्र प्रसाद, निवासी-एच. डी.-142, फेस-3, कबीर नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मैं मोनिका आ. श्री महेन्द्र प्रसाद के नाम से जानी व पहचानी जाती थी यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम मोनिका प्रसाद रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मोनिका प्रसाद आ. श्री महेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मोनिका (Monika)
पिता-महेन्द्र प्रसाद
(Mahendra Prasad)
निवासी-एच. डी.-142, फेस-3,
कबीर नगर, रायपुर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

मोनिका प्रसाद
(Monika Prasad)
पिता-महेन्द्र प्रसाद
(Mahendra Prasad)
निवासी-एच. डी.-142, फेस-3,
कबीर नगर, रायपुर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती महेश्वेता दुआ ध. प. श्री जसमीत दुआ, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-79, मैत्रीनगर, फेस-06, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. महेश्वेता पलेई आत्मज श्री रमेश चन्द्र पलेई था. यही नाम मेरे समस्त प्रमाण पत्रों, आवश्यक दस्तावेजो व सर्विस रिकार्ड में दर्ज है, मेरा विवाह 06-11-2013 को श्री जसमीत दुआ के साथ सपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती महेश्वेता दुआ रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती महेश्वेता दुआ ध. प. श्री जसमीत दुआ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. महेश्वेता पलेई
(Ku. Mahesweta Palei)
पिता-श्री रमेश चन्द्र पलेई
(Shri Ramesh Chandra Palei)
निवासी-ग्राम उपरडीहा, घटगांव
जिला-केआंझार (उड़ीसा)

नया नाम

श्रीमती महेश्वेता दुआ
(Smt. Mahesweta Dua)
पति-श्री जसमीत दुआ
(Shri Jasmeet Dua)
निवासी-क्वा. नं.-79, मैत्रीनगर,
फेस-06, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुर्गा प्रसन्ना आत्मजा श्री ए. गणपति राव, उम्र 22 वर्ष, निवासी-17/बी, सुन्दर विहार कालोनी, जामुल सीमेंट वर्क्स, कुरूद, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम ए. दुर्गा प्रसन्ना है जो कि मेरी बारहवी की अंकसूची में दर्ज है. मेरे जन्म प्रमाण-पत्र व कक्षा दसवीं की अंकसूची में मेरा अपूर्ण नाम ए. दुर्गा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम ए. दुर्गा प्रसन्ना रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे ए. दुर्गा प्रसन्ना आत्मजा श्री ए. गणपति राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ए. दुर्गा (A. Durga)
पिता-श्री ए. गणपति राव
(Shri A. Ganpathi Rao)
निवासी-17/बी, सुन्दर विहार कालोनी,
जामुल सीमेंट वर्क्स, कुरूद, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

ए. दुर्गा प्रसन्ना
(A. Durga Prasanna)
पिता-श्री गणपति राव
(Shri A. Ganpathi Rao)
निवासी-17/बी, सुन्दर विहार कालोनी,
जामुल सीमेंट वर्क्स, कुरूद, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेश गुप्ता आत्मज आर. बी. गुप्ता, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 3/ए, सड़क-26, सेक्टर-9, पोस्ट आफिस भिलाई वेस्ट, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परचिय पत्र, पेन कार्ड में मेरा सही नाम नरेश गुप्ता आ.आर. बी. गुप्ता दर्ज है. किन्तु मेरे कुछ आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम राम नरेश गुप्ता आ. श्री बी. आर. गुप्ता दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम नरेश गुप्ता आ. आर. बी. गुप्ता रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नरेश गुप्ता आ. आर. बी. गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राम नरेश गुप्ता (आर. एन. गुप्ता) पिता-श्री बी. आर. गुप्ता निवासी-क्वा नं. 3/ए, सड़क-26, सेक्टर-9, पोस्ट आफिस भिलाई वेस्ट, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	नरेश गुप्ता पिता-श्री आर. बी. गुप्ता निवासी-क्वा नं. 3/ए, सड़क-26, सेक्टर-9, पोस्ट आफिस भिलाई वेस्ट, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधा किशन गिडवानी आत्मज पेशूमल गिडवानी, उम्र 53 वर्ष, निवासी-लालबाग, सिंधी कालोनी, वार्ड नं.-23, गली नं.-08, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन 491441 का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रमेश गिडवानी था, यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता था. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम राधा किशन गिडवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राधा किशन गिडवानी आ. पेशूमल गिडवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रमेश गिडवानी पिता-श्री पेशूमल गिडवानी निवासी-लालबाग, सिंधी कालोनी, वार्ड नं.-23, गली नं.-08, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन-491441	राधा किशन गिडवानी पिता-श्री पेशूमल गिडवानी निवासी-लालबाग, सिंधी कालोनी, वार्ड नं.-23, गली नं.-08, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन-491441

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हर्ष राठी आत्मज श्री ओंकारदास राठी, उम्र 19 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी-पो.-साजा, तहसील-साजा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आवश्यक दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम हरिकिशन राठी दर्ज है तथा मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता था. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम हर्ष राठी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हर्ष राठी आ. श्री ओंकारदास राठी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हरिकिशन राठी (Harikishan Rathi)
पिता-श्री ओंकारदास राठी (Shri Onkar Das Rathi)
निवासी-पोस्ट-साजा, तहसील-साजा
जिला बेमेतरा (छ. ग.)

नया नाम

हर्ष राठी (Harsh Rathi)
पिता-श्री ओंकारदास राठी (Shri Onkar Das Rathi)
पिता-पोस्ट-साजा, तहसील-साजा
जिला बेमेतरा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिशुपाल डहरिया (Shishupal) आत्मज श्री खेमूराम डहरिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम-मोरीद, म. नं.-181/क, झंडा चौक मोरीद, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक व सही नाम शिशुपाल डहरिया है तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम शिशपाल (Shishpal) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम शिशुपाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शिशुपाल डहरिया आ. श्री खेमूराम डहरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शिशपाल डहरिया (Shishpal)
पिता-श्री खेमूराम डहरिया
निवासी-ग्राम-मोरीद, म. नं.-181/क,
झंडा चौक मोरीद, तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शिशुपाल डहरिया (Shishupal)
पिता-श्री खेमूराम डहरिया
निवासी-ग्राम-मोरीद, म. नं.-181/क,
झंडा चौक मोरीद, तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर सरगुजा (छ. ग.)

प्रारुप 04

[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए]

अम्बिकापुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्रमांक/565/वाचक-1/2017.— यह की श्री उत्तम कुमार व्यापारी आ. अनिल व्यापारी निवासी सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08-03-2017 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं पुष्पेन्द्र शर्मा, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08-03-2017 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	मॉ दुर्गेश्वरी ट्रस्ट सुभाषनगर, बनारस रोड, तहसील अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	रूपये -10,000.00 (दस हजार रुपये)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

पुष्पेन्द्र शर्मा,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/2180.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मुरू पं. क्र. 183 दिनांक 14-12-2004 विकास खण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/343 दिनांक 07-03-2007 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/165 दिनांक 13-01-2014 के द्वारा श्री अतुल कुमार सहकारी निरीक्षक (सह. वि.अधि. तखतपुर) को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मुरू पं. क्र. 183 दिनांक 14-12-2004 विकास खण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/2182.— चंदा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कछार, पं. क्र. 219 दिनांक 11-04-2015 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2010/143 दिनांक 21-01-2010 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/1228 दिनांक 24-10-2013 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत चंदा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कछार, पं. क्र. 219 दिनांक 11-04-2015 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.